



13.10.2025 को सुरक्षित
13.01.2026 को प्रदत्त

2026:AHC: 7719-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
आपराधिक अपील संख्या- 284/1984

राम चन्द्र	अपीलकर्ता(गण)
बनाम	
उत्तर प्रदेश राज्य	प्रत्यर्थी(गण)
अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: अनुज बाजपेयी, कल्पना सागर, राधे श्याम शुक्ला, राम कृष्ण मिश्रा, एस.ए. शाह, संतोष कुमार तिवारी
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: डी.जी.ए.

और 1 संबंधित वाद
न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय
माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत
(माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत द्वारा प्रदत्त)
प्रस्तावना: अपील का उद्भव

1. वर्तमान आपराधिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत विद्वान पंचम अपर न्यायाधीश, शाहजहाँपुर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या - 430 वर्ष 1982, अंतर्गत धारा 302, 302/34, 394 भा.द.सं., थाना-तिलहर, जनपद-शाहजहाँपुर से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या - 91 वर्ष 1983 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.01.1984 को चुनौती देते हुए दायर किया गया है।
2. आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थीगण को निम्नानुसार दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया गया था:

अभियुक्त का नाम: राम चंद्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



अधिनियम	धारा	अधिरोपित दण्डादेश
भा.द.सं.	302/34	आजीवन कारावास
भा.द.सं.	394	तीन वर्ष का सश्रम कारावास।

अभियुक्त का नाम: सोनपाल		
अधिनियम	धारा	अधिरोपित दण्डादेश
भा.द.सं.	302/34	आजीवन कारावास
भा.द.सं.	394	तीन वर्ष का सश्रम कारावास।

अभियुक्त का नाम: मैकू		
अधिनियम	धारा	अधिरोपित दण्डादेश
भा.द.सं.	302	आजीवन कारावास
भा.द.सं.	394	तीन वर्ष का सश्रम कारावास।

सभी सजाएँ साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

3. अभियुक्त मैकू ने अपनी दोषसिद्धि को **आपराधिक अपील संख्या 641 वर्ष 1984** दाखिल करके चुनौती दिया था और अपील के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त मैकू की मृत्यु हो गई, फलस्वरूप, **आपराधिक अपील संख्या 641 वर्ष 1984** को आदेश दिनांक 21.10.2022 द्वारा **उपशमित घोषित** कर दिया गया था।

अभियोजन पक्ष का वाद: अभिकथन

4. संक्षेप में, अभियोजन का अभिकथन है कि **16/17 दिसंबर, 1982** की रात लगभग 2:00 बजे, गाँव ढिंगुरिया तालिब (थाना तिलहर) के शिकायतकर्ता **जसवंत** ने रम्पा की पास की झोपड़ी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से 'चोर-चोर' की आवाजें सुनीं। जसवंत, उसका पुत्र **हरीराम**, और साक्षी **भीमसेन**, **उमराव सिंह** और **श्रीकृष्ण** मौके पर पहुँचे। झोपड़ी के पास, उन्होंने तीन अभियुक्तों—**राम चंद्र**, **मैकू** और **सोनपाल**—को बाहर निकलते देखा, जो देशी कट्टे और बंदूक से लैस थे, और टॉर्च की रोशनी में उन्हें पहचाना गया। जब साक्षियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश किया, तो अभियुक्तों ने उन्हें चुनौती दिया। अभियुक्त **मैकू** ने **गोली चलाई**, जिससे हरीराम घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। अभियुक्त इसके बाद भाग गए, जिन्होंने रम्पा की पुत्री **बुद्धो** से चांदी की 'खगोरिया' और सोने की बालियां छीन लिया था। जसवंत अपने घायल पुत्र हरीराम और घायल बुद्धो को बैलगाड़ी में पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ 17 दिसंबर, 1982 को सुबह 6:30 बजे धारा 394/307 भा.द.सं. (लूट/हत्या का प्रयास) के अंतर्गत **एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-1)** दर्ज कराया गया। पीड़ितों को अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर ने बाद में हरीराम को **मृत** घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप, वाद को सुबह 7:40 बजे धारा 394/302 भा.द.सं. (लूट/हत्या) में परिवर्तित कर दिया गया।

विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

विवेचना और चिकित्सीय निष्कर्ष:

5. विवेचना उप-निरीक्षक बाबू सिंह (पी.डब्ल्यू.-7) को सौंपी गई। उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया। इसके बाद उन्होंने शिकायतकर्ता और श्रीमती बुद्धो के साथ घटना स्थल का दौरा किया, उनके बयान दर्ज किए और स्थानीय निरीक्षण किया।

उप-निरीक्षक द्वारा की गई कार्रवाइयां और बरामदगी:

- नजरी नक्शा: नजरी नक्शा (प्रदर्श क-8) तैयार किया गया।
- बरामदगी: घटना स्थल से खून से सने और सादे ईंट के टुकड़े बरामद किए गए (फर्द प्रदर्श क-9)।
- जब्त: शिकायतकर्ता और साक्षी उमराव, भीम सिंह और श्रीकृष्ण की टॉर्च जब्त की गई (फर्द प्रदर्श क-10)।
- बयान: श्रीकृष्ण, श्रीमती रम्पा और उमराव सिंह के बयान दर्ज किए गए।
- चिकित्सीय प्रेषण: पीड़ितों को परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



श्रीमती बुद्धो का चिकित्सीय परीक्षण

डॉ. ए.के. बापना (पी.डब्ल्यू.-5) ने 17 दिसंबर, 1982 को सुबह 10:30 बजे श्रीमती बुद्धो का परीक्षण किया (चोट रिपोर्ट प्रदर्श क-7)।

- पाई गई चोट: बाएं कान के ऊपरी सिरे पर एक विदीर्ण घाव (1.00 सेमी x 0.5 सेमी x त्वचा तक गहरा)।
- प्रकृति: चोट को साधारण और कुंद वस्तु से कारित घोषित किया गया, जो लगभग 1/3 दिन पुराना अनुमानित थी।

हरीराम का पोस्टमार्टम परीक्षण (शव परीक्षण निष्कर्ष और मृत्यु का कारण)

हरीराम को मृत घोषित कर दिया गया। पंचायतनामा की कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप पंचायतनामा रिपोर्ट (प्रदर्श क-2), फोटो-लाश (प्रदर्श क-3) और पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए दस्तावेज (प्रदर्श क-4 से प्रदर्श क-6) तैयार किए गए। शव को सील कर शव-परीक्षण के लिए भेजा गया।

डॉ. डी.के. श्रीवास्तव (पी.डब्ल्यू.-8) ने 17 दिसंबर, 1982 को अपराह्न 3:45 बजे शव-परीक्षण किया (पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-11)। रिगर मॉर्टिस उपस्थित था।

मृतक के शरीर पर आग्नेयास्त्र के निम्नलिखित बारह मृत्यु-पूर्व घाव पाए गए, जो मुख्य रूप से सिर और धड़ के ऊपरी हिस्से पर केंद्रित थे, सभी को छोटे (0.2 सेमी x 0.2 सेमी) के रूप में वर्णित किया गया और उनमें टैटूइंग का अभाव था:

चोट संख्या	स्थान एवं गहराई
1	दाहिने भौंह से 4 सेमी ऊपर माथे के दाहिने हिस्से पर छोटा-आग्नेयास्त्र घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x मांसपेशी तक गहरा। कोई टैटूइंग नहीं, गोलाकार।
2	दाहिने भौंह के बाहरी हिस्से से 3 सेमी ऊपर माथे के दाहिने हिस्से पर छोटा-आग्नेयास्त्र घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x मांसपेशी तक गहरा। चोट संख्या 1 से 1 सेमी नीचे और पार्श्व में, कोई टैटूइंग नहीं, गोलाकार।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3	सिर के दाहिने हिस्से पर 5 सेमी x 3 सेमी के क्षेत्र में आग्नेयास्त्र के पाँच छोटे घाव, प्रत्येक का आकार 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x मस्तिष्क तक गहरा। दाहिने कान से 8 सेमी ऊपर।
4	दाहिनी भौंह के मध्य कोण के ठीक ऊपर माथे के दाहिने हिस्से पर आग्नेयास्त्र का छोटा घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x मांसपेशी तक गहरा, गोल, कोई टैटूइंग नहीं।
5	नाक के ऊपरी हिस्से से 2 सेमी ऊपर आग्नेयास्त्र का छोटा घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x मांसपेशी तक गहरा, गोल, कोई टैटूइंग नहीं।
6	दाहिनी ऊपरी पलक के मध्य में आग्नेयास्त्र के दो छोटे घाव, आकार 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x कॉर्निया विदीर्ण, गोल, कोई टैटूइंग नहीं।
7	मुँह के दाहिने कोण के ठीक ऊपर दाहिने गाल पर आग्नेयास्त्र के दो छोटे घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x मांसपेशी तक गहरा, गोल, कोई टैटूइंग नहीं।
8	नाक के बाएं पंख के ठीक ऊपर बाएं गाल पर आग्नेयास्त्र का छोटा घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x मांसपेशी तक गहरा, गोल, कोई टैटूइंग नहीं।
9	आँख के मध्य कोण के ठीक ऊपर बाईं ऊपरी पलक पर आग्नेयास्त्र का छोटा घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x त्वचा तक गहरा, गोल, कोई टैटूइंग नहीं।
10	दाहिने कंधे के ऊपरी हिस्से पर आग्नेयास्त्र का छोटा घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x मांसपेशी तक गहरा, गोल, कोई टैटूइंग नहीं।
11	छाती के दाहिने हिस्से पर (दाहिने निप्पल से 8 सेमी ऊपर) आग्नेयास्त्र का छोटा घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x मांसपेशी तक गहरा, गोल, कोई टैटूइंग नहीं।
12	बाईं हंसली के मध्य सिरे पर आग्नेयास्त्र का छोटा घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x त्वचा तक गहरा, गोल, कोई टैटूइंग नहीं।

हरीराम का आंतरिक परीक्षण:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हरीराम के शरीर के आंतरिक परीक्षण के दौरान, सर्जन ने बाहरी आग्नेयास्त्र घावों के अनुरूप महत्वपूर्ण चोटें पाईं:

- सिर की चोटें: चोट संख्या 1-3 के नीचे खोपड़ी की मांसपेशियां रक्तसंकुल थीं। चोट संख्या 3 के नीचे दाहिनी पार्श्विका अस्थि खंडित थी। चोट संख्या 3 के नीचे की झिल्लियाँ रक्तसंकुल और विदीर्ण थीं, झिल्लियों के दाहिने आधार पर दो छोटे छर्रे पाए गए। चोट संख्या 3 के नीचे मस्तिष्क विदीर्ण और रक्तसंकुल था, और मस्तिष्क पदार्थ से सोलह धात्विक छर्रे बरामद किए गए।
- अन्य निष्कर्ष: कॉर्निया विदीर्ण था, और चोट संख्या 6 के नीचे विट्रियस हैमरेज था। दोनों फेफड़े रक्तसंकुल थे।
- विसरा: पेट में 25 ग्राम बिना पचा भोजन था। यकृत, प्लीहा और गुर्दे रक्तसंकुल थे।
- बरामद साक्ष्य: सर्जन ने लिफाफे में कुल 18 छर्रे को सील किया और मृतक के अंडरवियर और बनियान को सील कर कांस्टेबल को सौंप दिया।
- मृत्यु का कारण: सर्जन की राय में मृत्यु, मृत्यु-पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप कोमा के कारण हुई थी।

आरोप और विचारण का प्रारंभ:

6. विवेचना पूरी होने के बाद, विवेचना अधिकारी ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

विरचित आरोप (23-03-83):

- राम चंद्र और सोनपाल: धारा 394, 302/34 भा.द.सं. (लूट, सामान्य आशय के अग्रसरण में हत्या) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया वाद पाया गया।
- मैकू: धारा 394/302 भा.द.सं. (लूट, हत्या) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया वाद पाया गया।
- अभिवाक : अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य:

दस्तावेजी साक्ष्य:

अभियोजन ने निम्नलिखित प्रमुख दस्तावेज प्रस्तुत किए:

- प्रदर्श क-1: प्रथम सूचना रिपोर्ट
- प्रदर्श क-2 से क-6: पंचायतनामा रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज (फोटो-लाश, चालान-लाश, नमूना सील, पोस्टमार्टम हेतु पत्र)
- प्रदर्श क-7: बुद्धो की चोट रिपोर्ट
- प्रदर्श क-8: नजरी नक्शा
- प्रदर्श क-9 और का-10: ईंट के टुकड़ों की बरामदगी और टॉर्च की जब्ती का फर्द
- प्रदर्श क-11: हरीराम की शव-परीक्षण (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट
- प्रदर्श सी-1 और सी-2: जनरल डायरी (जी.डी.) के उद्धरण

साक्षियों की गवाही:

अभियोजन ने निम्नलिखित प्रमुख साक्षीगण को प्रस्तुत किया:

साक्षी प्रकार	नाम/पद	साक्षी संख्या
शिकायतकर्ता/सूचनादाता	जसवंत	पी.डब्ल्यू.-1
चक्षुदर्शी साक्षी	उमराव	पी.डब्ल्यू.-2
घायल साक्षी	बुद्धो	पी.डब्ल्यू.-3
पुलिस अधिकारी	उ.नि. (आनंद) प्रकाश	पी.डब्ल्यू.-4

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



साक्षी प्रकार	नाम/पद	साक्षी संख्या
चिकित्सा परीक्षक	डॉ. ए.के. (बापना) (बुद्धो का परीक्षण)	पी.डब्ल्यू.-5
	(कृपाल)	पी.डब्ल्यू.-6
विवेचना अधिकारी	विवेचना अधिकारी बाबू सिंह	पी.डब्ल्यू.-7
शव परीक्षण डॉक्टर	डॉ. के. के. श्रीवास्तव	पी.डब्ल्यू.-8
न्यायालय साक्षी	सी.ओ. पी.एन. शुक्ला	सी.डब्ल्यू.-1

अपीलार्थीगण ने धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपने बयानों में अभिकथनों से इनकार किया और झूठा फँसाए जाने का तर्क दिया। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर दोषसिद्धि के निर्णय पर प्रहार करते हैं:

- **प्रक्रियात्मक दुर्बलता और विलंबित एफ.आई.आर.:** यह तर्क दिया गया है कि एफ.आई.आर., जो पूरी तरह से मौखिक सूचना पर आधारित है और बाद में केवल एक ज्ञापन के माध्यम से धारा 307 से धारा 302 भा.द.सं. में परिवर्तित कीकिया गया है, उसमें आवश्यक विधिक पवित्रता का अभाव है। इसके अलावा, एफ.आई.आर. के पंजीकरण में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी है, जो घटना के रंजित संस्करण और विचार-विमर्श तथा हेरफेर के अवसर का सुझाव देता है।
- **साक्ष्य संबंधी विरोधाभास:** अपीलार्थीगण का तर्क है कि अभियोजन का वाद पोषणीय साक्षीगण पर आधारित नहीं है और भौतिक विरोधाभासों से भरा हुआ है। पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 की चक्षुदर्शी गवाहियाँ कथित तौर पर असंगत हैं, जो न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का विश्वास जगाने या उचित संदेह से परे प्रमाण के कड़े मानकों को पूरा करने में विफल हैं।

- **उद्देश्य स्थापित करने में विफलता और संदिग्ध बरामदगी:** यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन अपराध के लिए किसी भी विश्वसनीय उद्देश्य को स्थापित करने में विफल रहा है। इसके अलावा, खून से सने ईंट के टुकड़ों की बरामदगी और टॉर्च की कथित जब्ती तथा सुपुर्दगी संदेह के घेरे में है, जो एक वास्तविक विवेचनात्मक खोज के बजाय साक्ष्य के रूप में बाद का विचार प्रतीत होता है।
- **साक्ष्य के मूल्यांकन में विकृति:** कहा गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण त्रुटि किया है, यह देखने में विफल रहा कि अभियोजन का कथानक अविश्वसनीय और आंतरिक रूप से विरोधाभासी है। इन स्पष्ट दोषों की अनदेखी करके, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को 'संदेह के लाभ'—जो आपराधिक न्यायशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है—से वंचित कर दिया।
- **बचाव पक्ष के संस्करण और धारा 313 द.प्र.सं. के बयानों की अवहेलना:** अपीलार्थीगण का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज बयानों की अवहेलना करके अवैध रूप से कार्य किया। ये बयान गहरी शत्रुता को उजागर करते हैं और एक प्रशंसनीय वैकल्पिक कथानक प्रदान करते हैं: कि मृतक की हत्या, घायल साक्षी बुद्धो के भाइयों द्वारा एक अवैध संबंध के कारण की गई थी, और अपीलार्थीगण को झूठा फँसाकर शिकार बनाया गया है।
- **विधिक सिद्धांतों का गलत अनुप्रयोग:** संक्षेप में, यह प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के भार के विपरीत हैं और विधि की प्रत्यक्ष त्रुटि का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोषसिद्धि का निष्कर्ष अस्थिर है, और आक्षेपित निर्णय, जो अवैधता और विकृति से ग्रस्त है, न्याय के हित में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता के तर्क

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण के तर्कों का पुरजोर विरोध किया है और यह दावा किया है कि दोषसिद्धि का निर्णय चक्षुदर्शी साक्षीगण की सुदृढ़ और विश्वसनीय गवाही पर आधारित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन का वाद पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 के दुर्जेय साक्ष्यों पर टिका है, जिनकी विश्वसनीयता अक्षुण्ण बनी हुई है। पी.डब्ल्यू.-3 की घायल साक्षी के रूप में स्थिति पर विशेष बल दिया गया है; आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के अंतर्गत, एक घायल साक्षी की गवाही सत्यता की एक अद्वितीय छाप रखती है, क्योंकि घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति उनके स्वयं के घावों द्वारा अमिट रूप से अंकित होती है।

9. विद्वान ए.जी.ए. आगे तर्क देते हैं कि घटना स्थल पर चक्षुदर्शी साक्षीगण की उपस्थिति पूरी तरह से स्वाभाविक थी, क्योंकि वे तत्काल पड़ोसी और आसपास के निवासी थे। इन साक्षीगण ने रम्पा की झोपड़ी से बाहर निकलते समय तीनों अपीलार्थियों की लगातार पहचान किया, जिससे अपराध से सीधा और अटूट जुड़ाव स्थापित होता है। ऐसे सम्मोहक प्रत्यक्ष साक्ष्य के आलोक में, राज्य का तर्क है कि उद्देश्य की स्थापना गौण है; फिर भी, एक स्पष्ट उद्देश्य 'लूट करने का साझा आशय' निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है। श्रीमती बुद्धो के गहनों के हिंसक हस्तांतरण से हरीराम की घातक गोलीबारी तक का संक्रमण उनके सामान्य आशय के अग्रसरण में निष्पादित एक निरंतर आपराधिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। परिणामस्वरूप, राज्य का मानना है कि अपराधों के प्रत्येक आवश्यक तत्व को उचित संदेह से परे सिद्ध किया गया है। विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को सूक्ष्मता से तर्कसंगत और विधिक रूप से सुदृढ़ रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बचाव पक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु के समय के संबंध में पी.डब्ल्यू.-8, डॉ. के.के. श्रीवास्तव की राय को चुनौती नहीं दिया, और इसलिए ऐसी राय स्वीकृत मानी गई। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ठाकुर दास व अन्य, 1982 क्रि.एल.जे 1694 में प्रतिवेदित निर्णय पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने अवलोकन किया कि जब किसी साक्षी द्वारा दिए गए तथ्य के बयान को प्रति-परीक्षा में चुनौती नहीं दी जाती है, तो उसे बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया माना जाना चाहिए। चिकित्सीय साक्ष्य, जिसमें रिगर अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मॉर्टिस की उपस्थिति और आंतरिक निष्कर्ष शामिल हैं, घटना के समय के संबंध में अभियोजन के संस्करण के अनुरूप पाए गए।

11. विद्वान विचारण न्यायालय ने आगे पाया कि मृतक को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था और कांस्टेबल राम प्रकाश द्वारा सुबह 07:40 बजे पुलिस स्टेशन में एक मृत्यु फर्द जमा किया गया था, जिसे प्रदर्श सी-2 के माध्यम से जनरल डायरी में क्रम संख्या 14 पर विधिवत दर्ज किया गया था। पी.डब्ल्यू.-7, विवेचना अधिकारी बाबू सिंह यादव की गवाही को इस प्रभाव के लिए स्वीकार किया गया कि मृत्यु फर्द प्राप्त होने पर वाद को धारा 394/307 भा.द.सं. से धारा 302 भा.द.सं. में परिवर्तित कर दिया गया था। न्यायालय ने जी.डी. प्रविष्टि पर विवेचना अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुपस्थिति के संबंध में बचाव पक्ष की आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता वाले किसी वैधानिक प्रावधान की ओर इशारा नहीं किया गया था और बचाव पक्ष अपराध के परिवर्तन से पहले या बाद की अन्य जी.डी. प्रविष्टियों के संबंध में साक्षी की प्रति-परीक्षा करने में विफल रहा।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी खारिज कर दिया कि एफ.आई.आर. पहले के समय की थी या स्थल निरीक्षण और परामर्श के बाद तैयार की गई थी। यह नोट किया गया कि पी.डब्ल्यू.-7 ने अपनी प्रति-परीक्षा में विशेष रूप से इन सुझावों का खंडन किया था और बचाव पक्ष अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहा। पी.डब्ल्यू.-3 श्रीमती बुद्धो की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-7), जो तिलहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भेजी गई पुलिस रिपोर्ट के बाद तैयार की गई थी, उसे विधिवत सिद्ध पाया गया और वह निर्विवाद रही, जिससे बचाव पक्ष के इस सिद्धांत का खंडन हुआ कि 17.12.1982 की शाम तक एफ.आई.आर. लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

13. न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में कोई अत्यधिक देरी नहीं थी और इसे तत्काल दर्ज करना इसकी प्रामाणिकता और सच्चाई का आश्वासन देता है। श्रीमती बुद्धो के कान पर विदीर्ण चोट, जैसा कि पी.डब्ल्यू.-5, डॉ. ए.के. बापना द्वारा पाया गया था, को एक पुष्टिकारक परिस्थिति माना गया, जो उसी व्यवहार के दौरान उसकी बालियां जबरन छीनने के अभियोजन पक्ष के अभिकथन का समर्थन करती है। चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिकथित घटना के समय और तरीके के अनुरूप पाए गए और प्रति-परीक्षा में अडिग रहे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. चक्षुदर्शी साक्ष्य के संबंध में, विद्वान विचारण न्यायालय ने पी.डब्ल्यू.-1 जसवंत को एक स्वाभाविक और विश्वसनीय साक्षी पाया। कथित संपत्ति विवाद, रिश्ते या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फँसाए जाने के बचाव पक्ष के अभिवाक को निराधार और किसी भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य द्वारा असमर्थित होने के कारण खारिज कर दिया गया। पी.डब्ल्यू.-1 की गवाही सजीव, ठोस और भरोसेमंद पाई गई, और उसकी प्रति-परीक्षा में उस पर संदेह करने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं निकला।

15. पी.डब्ल्यू.-2 उमराव लाल और पी.डब्ल्यू.-3 बुद्धो के साक्ष्य भौतिक विवरणों पर, विशेष रूप से घटना स्थल और हमले के तरीके के संबंध में, पी.डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य के अनुरूप पाए गए। अभियोजन साक्षियों के बीच कोई भौतिक विरोधाभास या असंगति नहीं पाई गई। विद्वान विचारण न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्तों की पहचान के लिए घटना स्थल पर पर्याप्त टॉर्च की रोशनी थी, जिन्हें साक्षी जानते थे, और अभियुक्तों द्वारा पहचान न छिपाने से अपराध में उनकी भागीदारी के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न नहीं हुआ।

16. चक्षुदर्शी, चिकित्सीय और दस्तावेजी साक्ष्यों के संचयी मूल्यांकन पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन ने उचित संदेह से परे अपना वाद सिद्ध किया था और बचाव पक्ष अभियोजन के संस्करण में कोई सेंध लगाने में विफल रहा था।

न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिए गए प्रतिस्पर्धी तर्कों को सुनने के बाद, और साक्ष्य के अभिलेख की सूक्ष्मता से जाँच करने के बाद, अब हम इस अपील के न्यायनिर्णयन की ओर अग्रसर होते हैं। एक अपीलीय न्यायालय के रूप में, हमारा अधिदेश स्वतंत्र रूप से तथ्यात्मक पहलू और उस साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना है, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 302 सपठित धारा 34 और धारा 394 भा.द.सं. के अंतर्गत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि का आधार रखा था। यह अभ्यास, यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्त के दोष को ऐसी निश्चितता के साथ स्थापित करने के अपने भार का निर्वहन किया है, जिससे प्रत्येक उचित संदेह बाहर हो जाए।

18. इस वाद के गुण-दोष के व्यापक निर्धारण के लिए, हम निम्नलिखित मूलभूत स्तंभों के विरुद्ध अभियोजन के कथानक का परीक्षण करेंगे:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- **एफ.आई.आर. की सामयिक और प्रक्रियात्मक अखंडता:** क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट आवश्यक तत्परता के साथ पंजीकृत की गई थी, जिससे इसकी स्वाभाविकता सुनिश्चित हो सके और रंजित संस्करणों या अलंकरणों की संभावना समाप्त हो सके।
- **घटना स्थल और कालक्रम:** क्या अभियोजन ने अभिकथित विशिष्ट तिथि, समय और घटना के सटीक स्थान को निर्णायक रूप से स्थापित किया है।
- **कार्यप्रणाली:** क्या साक्ष्य उस तरीके को सटीक रूप से दर्शाते हैं, जिसमें अपराध निष्पादित किया गया था, जो चक्षुदर्शी और चिकित्सीय निष्कर्षों के साथ संरेखित हो।
- **पहचान और दोष:** क्या प्रत्येक अपीलार्थी की व्यक्तिगत संलिप्तता विश्वसनीय पहचान और सुसंगत गवाही के माध्यम से स्थापित है।
- **व्यक्तिगत और साझा दायित्व:** प्रत्येक अपीलार्थी को आरोपित विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों का मूल्यांकन, और सामान्य आशय के सिद्धांत के तहत उनके सामूहिक दायित्व का निर्धारण।
- **दायित्व का अंतिम न्यायनिर्णयन:** क्या विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को बनाए रखने के लिए आरोपित अपराधों के वैधानिक तत्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

19. प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण और घटना की स्थापित समयरेखा के संबंध में, अभिलेख दर्शाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 430, थाना तिलहर में प्रदर्श-1 के रूप में 17.12.1982 को सुबह 06:30 बजे पंजीकृत किया गया था। शुरू में धारा 394 और 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दर्ज एफ.आई.आर. में स्पष्ट रूप से तीन अभियुक्तों रामचन्द्र, मैकू और सोनपाल का नाम लिया गया था। एफ.आई.आर. सूचनादाता जसवंत के मौखिक बयान पर आधारित थी, और इसे कांस्टेबल बृज भूषण सिंह द्वारा समसामयिक रूप से चिक एफ.आई.आर. में दर्ज किया गया था। अपीलार्थीगण के निवास की शिकायतकर्ता के निवास से निकटता, पहले उपलब्ध अवसर पर की गई पहचान की विश्वसनीयता को और पुष्ट करती है।

20. एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी के संबंध में बचाव पक्ष की चुनौती व्यावहारिक वास्तविकताओं के माध्यम से देखने पर निराधार है। घटना लगभग 02:00 बजे रात हुई, और एफ.आई.आर. सुबह 06:30 बजे तक गति में आ गई, जो कि केवल साढ़े चार घंटे का अंतराल है। पी.डब्ल्यू.-1 (जसवंत) ने इस अवधि के लिए एक ठोस और प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान किया:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हिंसक हमले के बाद, उन्होंने गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को चार मील दूर स्थित पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए सुबह 04:00 बजे तक एक बैलगाड़ी की व्यवस्था किया, और सुबह 06:15 बजे पहुँचे। ऐसी समयरेखा न केवल उचित है, बल्कि ग्रामीण परिवेश की साजो-सामान संबंधी बाधाओं के बावजूद विधिक निवारण प्राप्त करने के लिए किए गए, श्रमसाध्य प्रयास को प्रदर्शित करती है। परिणामस्वरूप, एफ.आई.आर. एक **त्वरित और स्वाभाविक दस्तावेज** के रूप में खड़ी है, जो प्रभावी रूप से रंजित संस्करण या विचार-विमर्श की संभावना को खारिज करती है, और घटना की तिथि और समय को मजबूती से स्थापित करती है।

21. इसके अलावा, बाद में धारा 302 भा.द.सं. लागू करने के संबंध में अपीलार्थीगण का तर्क विधिक रूप से गुणहीन है। साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि एफ.आई.आर. शुरू में पीड़ित हरिराम के जीवित होने के आधार पर धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी। केवल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पीड़ित को मृत घोषित किए जाने के बाद ही विवेचनात्मक एजेंसी ने उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, जनरल डायरी में **सुबह 07:40 बजे रपट संख्या 14** दर्ज किया। आरोप का हत्या में यह प्रक्रियात्मक परिवर्तन बीच में हुई मृत्यु का प्रत्यक्ष परिणाम था और इसे पारदर्शिता और गति के साथ निष्पादित किया गया था। इसलिए, बचाव पक्ष का यह तर्क कि एफ.आई.आर. अनुचित तरीके से पंजीकृत या हेरफेर की गई थी, पूरी तरह से निराधार है और वाद के प्रक्रियात्मक इतिहास में इसे कोई समर्थन नहीं मिलता है।

22. घटना स्थल के संबंध में, अभियोजन ने एक सुसंगत और सत्यापन योग्य विवरण स्थापित किया है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में निर्धारित प्रारंभिक संस्करण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। विवेचना अधिकारी (पी.डब्ल्यू.-7) द्वारा सूक्ष्मता से तैयार किया गया, नजरी नक्शा (प्रदर्श क-8), आपराधिक व्यवहार का एक सटीक स्थानिक पुनर्निर्माण प्रदान करता है। बिंदु 'ए' रम्पा की झोपड़ी के आंतरिक भाग को चिह्नित करता है, जहाँ लूट का प्रारंभिक कृत्य हुआ; बिंदु 'बी' उस गली का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ पीड़ित की चीख पुकार सुनकर अपीलार्थीगण पीछे हटे; बिंदु 'सी' सूचनादाता और उसके पुत्र की स्थिति की पहचान करता है, जब उन्होंने अभियुक्तों को रोका; और बिंदु 'डी' अन्य स्वतंत्र साक्षीगण के अवलोकन बिंदु को चिह्नित करता है। नक्शा-नजरी में दर्शाए गए, इन स्थानों की भौगोलिक निकटता, लूट से घातक हमले तक की घटनाओं के निर्बाध संक्रमण की पुष्टि करती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23. यह स्थलाकृतिक साक्ष्य सूचनादाता (पी.डब्ल्यू.-1), चक्षुदर्शी साक्षी (पी.डब्ल्यू.-2) और घायल पीड़ित (पी.डब्ल्यू.-3) की लगातार गवाही से और अधिक पुष्ट होता है, जिनमें से सभी ने प्रदर्श क-8 में उद्धृत स्थानों की पुष्टि किया। कड़े प्रति-परीक्षा के बावजूद, बचाव पक्ष घटना स्थल के संबंध में कोई विसंगति निकालने में विफल रहा। इसके अलावा, मौके से खून से सने और सादे ईंट के टुकड़ों की बरामदगी, जैसा कि फर्द (प्रदर्श क-9) में दर्ज है, भौतिक साक्ष्य प्रदान करती है, जो निर्दिष्ट स्थान पर घटना को पुख्ता करती है। बचाव पक्ष अपराध स्थल की अखंडता पर विवाद करने के लिए कोई वैकल्पिक कथानक या साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है।

24. क्या घटना वास्तव में हुई थी, इस मौलिक प्रश्न का उत्तर तत्परता से पंजीकृत एफ.आई.आर. द्वारा दिया जाता है, जो अपराध के एक स्वाभाविक और समसामयिक अभिलेख के रूप में कार्य करता है, जिससे विचार-विमर्श या हेरफेर के लिए कोई जगह नहीं बचती है। हरीराम की मृत्यु की घोषणा और श्रीमती बुद्धो के परीक्षण के परिणामस्वरूप चिकित्सीय हस्तक्षेप की तत्परता अभियोजन की समयरेखा को और प्रमाणित करती है। चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-7) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-11) में विस्तृत चिकित्सीय निष्कर्ष अलग-थलग दस्तावेज नहीं हैं; वे एक मजबूत साक्ष्य श्रृंखला का हिस्सा हैं, जिसमें फोटो-नाश (प्रदर्श क-3), चालान-नाश (प्रदर्श क-4) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को औपचारिक पत्र (प्रदर्श क-6) शामिल हैं। सामूहिक रूप से, ये दस्तावेज किए गए अपराध का एक अकाट्य अभिलेख बनाते हैं, जो अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि करते हैं।

25. हरीराम की मृत्यु की घोषणा के बाद, 17.12.1982 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलहर में पंचायतनामा की कार्यवाही किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पंचायतनामा रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) तैयार हुई। इस प्रक्रिया के दौरान दर्ज की गई शारीरिक चोटें मृत्यु-पूर्व चोटों के एक महत्वपूर्ण अग्रदूत के रूप में कार्य करती हैं और उनके साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं, जो बाद में शव-परीक्षण सर्जन, पी.डब्ल्यू.-8 द्वारा दर्ज की गई थीं। अभियोजन साक्षीगण द्वारा विधिवत सिद्ध इन दस्तावेजों का निर्बाध एकीकरण, संदेह की किसी भी गुंजाइश के बिना यह स्थापित करता है कि 16-17 दिसंबर, 1982 की दरम्यानी रात के दौरान, रम्पा की झोपड़ी में और उसके आसपास एक हिंसक व्यवहार हुआ था। इस घटना के परिणामस्वरूप श्रीमती बुद्धो घायल हुई और सूचनादाता के पुत्र हरीराम की असामयिक मृत्यु हुई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26. घटना की सटीक रूपरेखा निर्धारित करने के लिए, इस न्यायालय ने चक्षुदर्शी साक्षीगण की गवाही, विवेचना अधिकारी के प्रक्रियात्मक साक्ष्य और चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञ निष्कर्षों का समग्र मूल्यांकन किया है। अभियोजन का वाद मुख्य रूप से आठ साक्षीगण की गवाही पर टिका है, जिनके विवरण अपराध का एक सुसंगत कथानक प्रदान करते हैं।

27. चक्षुदर्शी साक्ष्य का आधारशिला पी.डब्ल्यू.-1 की गवाही है, जिसका 06.07.1983 का बयान अडिग रहा है। उन्होंने गवाही दिया कि लगभग 02:00 बजे, उनके पुत्र ने उन्हें रम्पा की झोपड़ी से निकलने वाली 'चोर-चोर' की संकट भरी पुकार के प्रति सतर्क किया। एक सतर्क पड़ोसी के स्वाभाविक आचरण का प्रदर्शन करते हुए, वह और उनका पुत्र टॉर्च और लाठी से लैस होकर मौके पर पहुँचे। पश्चिम से अन्य ग्रामीणों—उमराव लाल, श्रीकृष्ण और भीमसेन—के आगमन का उनका विवरण मुठभेड़ का एक सुसंगत भौगोलिक ढांचा प्रदान करता है। उनकी टॉर्चों की रोशनी में, साक्षीगण ने अपीलार्थीगण की पहचान की: मैकू बंदूक से लैस था, और सोनपाल तथा रामचंद्र कट्टों के साथ थे। पी.डब्ल्यू.-1 ने हिंसा के बढ़ने का सजीव वर्णन किया; जब हरीराम ने घुसपैठियों को चुनौती दिया, तो रामचंद्र और सोनपाल ने मैकू को गोली चलाने के लिए उकसाया। मैकू द्वारा चलाई गई गोली के परिणामस्वरूप हरीराम तुरंत गिर पड़ा। साक्षी ने बुद्धो की तत्काल चीख पुकार को नोट करके लूट की पुष्टि की, जो झोपड़ी से बाहर आई और अपनी हंसली तथा बाली की चोरी की सूचना दी। एक विस्तृत प्रति-परीक्षा के दौरान, पी.डब्ल्यू.-1 सुसंगत रहे, उन्होंने घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति और इस गंभीर अपराध के आयोग में प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिकाओं की पुष्टि किया।

28. चक्षुदर्शी विवरण पी.डब्ल्यू.-2 (उमराव लाल) की गवाही से और अधिक पुष्ट होता है, जिनका साक्ष्य अपीलार्थीगण के पीछे हटने का एक सजीव पुनर्निर्माण प्रदान करता है। पी.डब्ल्यू.-2 ने टॉर्चों की रोशनी में रम्पा की झोपड़ी से मैकू, रामचंद्र और सोनपाल को बाहर निकलते देखने की गवाही दिया—एक विवरण, जो निश्चित पहचान स्थापित करता है। उन्होंने विशेष रूप से मैकू को एक बंदूक और रामचंद्र तथा सोनपाल को कट्टों के साथ बताया। महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने उकसावे के क्रम की पुष्टि किया, यह बताते हुए कि उनकी चुनौती पर, रामचंद्र ने मैकू को गोली चलाने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप हरीराम को घातक चोट आई। श्रीमती बुद्धो को खून बहते कान के साथ बाहर निकलते देखना, उनकी लूट के तत्काल खुलासे के साथ मिलकर,



एक 'ऐस जेस्टे' बयान बनता है, जो लूट को बाँधता है। खोजी प्रति-परीक्षा के बावजूद, पी.डब्ल्यू.-2 अडिग रहे, उन्होंने घटना स्थल और घटना के वीभत्स तरीके दोनों की पुष्टि किया।

29. पीड़ित साक्षी, पी.डब्ल्यू.-3 (श्रीमती बुद्धो) की गवाही अभियोजन पक्ष के वाद की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। झोपड़ी के भीतर उपस्थित एक स्वाभाविक साक्षी के रूप में, उन्होंने घुसपैठ और अपने गहनों के हिंसक हस्तांतरण का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान किया। ग्रामीणों—जसवंत, हरीराम, उमराव और अन्य—के आगमन के संबंध में उनका कथानक अन्य साक्षीगण द्वारा प्रदान की गई भौगोलिक और कालानुक्रमिक बारीकियों से मेल खाता है। वह प्रति-परीक्षा के दौरान अडिग रहीं, उनकी मुख्य परीक्षा को कमजोर करने के लिए कोई भौतिक विरोधाभास या सुधार सामने नहीं आया। सोनपाल के उकसावे पर मैकू द्वारा चलाई गई घातक गोली का उनका विवरण उल्लेखनीय सटीकता के साथ अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण की गवाही को प्रतिबिंबित करता है।

30. पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 की गवाहियों के समग्र मूल्यांकन पर, यह स्पष्ट है कि उनके बयान उल्लेखनीय रूप से सुसंगत और हेरफेर के दोष से मुक्त हैं। ये 'स्वाभाविक साक्षी' हैं जिनकी घटना स्थल पर उपस्थिति तार्किक रूप से स्पष्ट है और जिनकी विश्वसनीयता संदेह से परे है। किसी भी भौतिक सुधार या महत्वपूर्ण विरोधाभास की अनुपस्थिति में, उनकी विश्वसनीयता पूर्ण है। उनका संयुक्त साक्ष्य दोष का एक निर्बाध जाल बुनता है, जिससे हमलावरों की पहचान या इस समन्वित आपराधिक कृत्य में प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के बारे में कोई संदेह नहीं रहता है।

31. पूर्व शत्रुता और झूठा फँसाए जाने के आधार पर चुनौती देने का बचाव पक्ष का प्रयास मौलिक रूप से सारहीन है। पी.डब्ल्यू.-1 की प्रति-परीक्षा के दौरान, साक्षी ने पारिवारिक संबंधों को स्पष्ट किया, यह देखते हुए कि रामकिशन उनका भतीजा है और रम्पा की बेटी से विवाहित है—एक ऐसा तथ्य, जो अपने आप में झूठा फँसाने के उद्देश्य का सुझाव नहीं देता है। इसके अलावा, अपीलार्थी रामचंद्र द्वारा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपने बयान में धनपाता के कथित गायब होने और हरीराम तथा बुद्धो के बीच अवैध संबंध के संबंध में पेश किया गया कथानक, महज एक निराधार दावा बना हुआ है। बचाव पक्ष इन दावों की पुष्टि के लिए साक्ष्य का एक टुकड़ा भी प्रस्तुत करने में विफल रहा, और न ही उन्होंने बुद्धो के उन भाइयों की पहचान किया, जिनका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वे असली अपराधी होने का अभिकथन करते हैं। परिणामस्वरूप, झूठा फँसाए जाने का अभिवाक, अभिलेख द्वारा असमर्थित होने के कारण, विफल होना चाहिए।

32. इसी तरह, अपीलार्थीगण मैकू और सोनपाल द्वारा सुझाए गए द्वेष के उद्देश्य विधिक रूप से कमजोर हैं। मैकू का तर्क कि उसे पी.डब्ल्यू.-2 (उमराव) के दरवाजे से गुजरने वाले उसके पशुओं के संबंध में एक मामूली विवाद पर फँसाया गया था, साक्षी की प्रति-परीक्षा के दौरान प्रभावी रूप से निष्प्रभावी हो गया, जिससे ऐसी गहरी शत्रुता का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसी तरह, उमराव के साथ शत्रुता के सोनपाल के अभिकथन, किसी भी दस्तावेजी या मौखिक प्रमाण द्वारा पूरी तरह से असमर्थित बने हुए हैं। इसके विपरीत ठोस साक्ष्य के अभाव में, शत्रुता की ये हताश दलीलें अभियोजन द्वारा प्रस्तुत निरंतर और विश्वसनीय चक्षुदर्शी गवाही को विस्थापित करने के लिए अपर्याप्त हैं। बचाव पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि साक्षीगण के पास 'असली' दोषियों को बचाने और अपीलार्थीगण के विरुद्ध झूठी कसम खाने का कोई कारण था।

33. साक्ष्य अभिलेख श्रीमती बुद्धो की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-7) और हरीराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-11) द्वारा और अधिक पुष्ट होता है, जिनमें से दोनों चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा वर्णित हिंसा का नैदानिक सत्यापन प्रदान करते हैं। पी.डब्ल्यू.-5 (डॉ. ए.के. बापना), जिन्होंने बुद्धो का चिकित्सीय परीक्षण किया था, उन्होंने व्यवहार के दौरान आई चोटों को औपचारिक रूप से सिद्ध किया। हालांकि बचाव पक्ष ने डॉक्टर की इस राय को उजागर करने की कोशिश किया कि ऐसी चोटें नाखून जैसी नुकीली वस्तु से संभावित रूप से कारित हो सकती हैं, ऐसी काल्पनिक अटकलें अभियोजन के वाद को कम नहीं करती हैं। उन वादों में जहाँ चक्षुदर्शी गवाही प्रत्यक्ष और सम्मोहक है, चोट के वैकल्पिक उपकरण की मात्र संभावना पीड़ितों के विश्वसनीय साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती। जब चिकित्सीय निष्कर्षों को पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और स्वयं घायल पीड़ित की निरंतर गवाहियों के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है, तो यह निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि विदीर्ण घाव अपीलार्थीगण द्वारा बालियां जबरन छीनने का प्रत्यक्ष परिणाम थे। इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्ष मौखिक विवरणों के लिए एक पुष्टिकारक स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं, जो चोट के साथ लूट के होने की पुष्टि करते हैं।

34. चिकित्सीय साक्ष्य, पी.डब्ल्यू.-8 (डॉ. के.के. श्रीवास्तव) की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-11) द्वारा पुष्ट होकर, अभियोजन के कथानक को एक दुर्जेय समर्थन प्रदान करते हैं। पी.डब्ल्यू.-8 ने स्पष्ट रूप से गवाही दिया कि हरीराम की मृत्यु आग्नेयास्त्र के घावों के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिणामस्वरूप हुई थी, एक निष्कर्ष जो मृतक की आंतरिक गुहाओं से अठारह (18) छरों की सर्जिकल बरामदगी से पुष्ट होता है। नैदानिक निष्कर्ष संकेत देते हैं कि मृत्यु का कारण इन घातक मृत्यु-पूर्व चोटों से उत्पन्न कोमा था। विशेष रूप से, बचाव पक्ष ने मृत्यु के कारण या समय का विरोध नहीं करना चुना, अपनी प्रति-परीक्षा पूरी तरह से गोलीबारी के प्रक्षेपवक्र और दूरी पर केंद्रित किया। इस संबंध में, गोली चलने की दूरी लगभग बारह फीट होने का अनुमान लगाने और नीचे की ओर प्रक्षेपवक्र का सुझाव देने वाली पी.डब्ल्यू.-8 की विशेषज्ञ राय पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 के चक्षुदर्शी विवरणों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। विशेष रूप से, चिकित्सीय अवलोकन कि चोटें उस पीड़ित के अनुरूप हैं, जो गिर गया है या निचले शारीरिक तल में है, साक्षीगण द्वारा वर्णित हमले के क्रम से मेल खाता है। परिणामस्वरूप, पोस्टमार्टम निष्कर्षों और निरंतर मौखिक गवाहियों का संश्लेषण संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि हरिराम को मैकू द्वारा गोली मारी गई और मार दिया गया, जो सभी अपीलार्थीगण द्वारा साझा किए गए सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य कर रहा था।

35. अभियोजन पक्ष के वाद की प्रक्रियात्मक नींव विवेचना अधिकारी, पी.डब्ल्यू.-7 (बाबू सिंह) की गवाही से मजबूत होती है, जिन्होंने नक्शा नजरी (प्रदर्श क-8), खून से सने और सादे ईंट के टुकड़ों के लिए बरामदगी फर्द (प्रदर्श क-9) और टॉच के लिए जब्ती फर्द (प्रदर्श क-10) को औपचारिक रूप से सिद्ध किया। अपनी मुख्य परीक्षा में, पी.डब्ल्यू.-7 ने एक व्यापक विवेचनात्मक प्रक्रिया का विवरण दिया, जिसमें शिकायतकर्ता जसवंत, घायल पीड़ित बुद्धो और चक्षुदर्शी साक्षी उमराव सिंह, भीमसेन, श्रीकृष्ण और श्रीमती रम्पा के बयान दर्ज करना शामिल था। एक कठोर प्रति-परीक्षा के बावजूद, बचाव पक्ष उनकी विश्वसनीयता को भंग करने में विफल रहा; पी.डब्ल्यू.-7 ने स्पष्ट रूप से उन आरोपों का खंडन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद की तिथि की थी या पीड़ित की चोटें पहले के समय की थीं। इसके अलावा, वाद का धारा 307 से धारा 302 भा.द.सं. में प्रशासनिक संक्रमण पी.डब्ल्यू.-8 को पुनः बुलाकर पुष्ट किया गया, जिन्होंने संबंधित जनरल डायरी (जी.डी.) प्रविष्टियों (प्रदर्श सी-1 और प्रदर्श सी-2) को सिद्ध किया। यह पी.डब्ल्यू.-6 (कृपाल) की गवाही से और पुष्ट हुआ, जिन्होंने मृतक के मर्चुरी तक सुरक्षित पारगमन और शव की औपचारिक पहचान की पुष्टि की, और पी.डब्ल्यू.-4 (अजय प्रकाश) ने स्पष्ट किया कि पंचायतनामा की कार्यवाही स्थापित नियम के अनुसार अस्पताल में किया गया था। सामूहिक रूप से, बचाव पक्ष किसी भी भौतिक विरोधाभास को निकालने या विवेचनात्मक प्रक्रिया में किसी भी विकृति को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदर्शित करने में विफल रहा, जिससे अभियोजन के दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य पूरी तरह से अक्षुण्ण रहे।

36. इसलिए, सभी आठ साक्षीगण ने अभियोजन की कहानी को सिद्ध किया है, जो कथित घटना में अपराधी-अपीलार्थीगण की संलिप्तता स्थापित करती है। साक्षीगण पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 के बयानों के बीच कुछ मामूली विरोधाभास हैं, जो उपेक्षणीय हैं।

37. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्ष्य भौतिक विरोधाभासों से ग्रस्त हैं और चक्षुदर्शी साक्षीगण की गवाहियाँ भरोसेमंद नहीं हैं और अभियोजन की कहानी संदिग्ध हो जाती है।

38. हाल ही में, **गोवर्धन व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य: 2025 आईएनएससी 47** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उचित संदेह से परे वाद को सिद्ध करने के लिए एक आपराधिक वाद में प्रमाण के मानक के महत्व के बारे में चर्चा किया है और अवलोकन किया है कि:

*"21. इस मोड़ पर यह चर्चा करना प्रासंगिक होगा कि 'उचित संदेह' से क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ है कि ऐसा संदेह काल्पनिक अटकलों से मुक्त होना चाहिए। यह सूक्ष्म भावनात्मक विवरणों का परिणाम नहीं होना चाहिए, और संदेह वास्तविक तथा ठोस होना चाहिए न कि केवल अस्पष्ट आशंका। एक उचित संदेह कोई काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभावित संदेह नहीं है, बल्कि तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित एक निष्पक्ष संदेह है जैसा कि **रमाकांत राय बनाम मदन राय, (2003) 12 एससीसी 395** के वाद में देखा गया था, जिसमें निम्नानुसार अवलोकन किया गया था:*

"24. संदेहों को उचित कहा जाएगा यदि वे अमूर्त अटकलों के उत्साह से मुक्त हों। विधि सत्य के अलावा किसी अन्य का पक्ष नहीं ले सकता। उचित संदेह गठित करने के लिए, इसे अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया से मुक्त होना चाहिए। संदेह अभियुक्त व्यक्तियों के दोष के बारे में वास्तविक और ठोस संदेह होने चाहिए जो साक्ष्य से, या इसके अभाव से उत्पन्न होते हैं, न कि केवल अस्पष्ट आशंकाएं होते हैं। उचित संदेह कोई काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभावित संदेह नहीं है; बल्कि तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित एक निष्पक्ष संदेह है। यह वाद में साक्ष्य से निकलना चाहिए।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



39. उपरोक्त निर्णयज विधि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी चक्षुदर्शी साक्षीगण की विश्वसनीयता के बारे में चर्चा की है और लीला राम (डी) द्वारा दुली चंद बनाम हरियाणा राज्य व अन्य, (1999) 9 एससीसी 525 में प्रतिवेदित निर्णयज विधि का उल्लेख किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवलोकन किया गया है कि:

"9. यह ध्यान दिया जाए कि उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के नाते साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के अपने क्षेत्राधिकार के भीतर है, लेकिन दो साक्षीगण के चक्षुदर्शी विवरण में पाई गई विसंगतियां, जब तक कि वे इतनी महत्वपूर्ण न हों, साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। जब विभिन्न साक्षी विवरणों पर बोलते हैं, तो उनके वर्णन के बीच कुछ विसंगतियां होना तय है, और जब तक विरोधाभास भौतिक आयाम के न हों, तब तक उनका उपयोग साक्ष्य को पूरी तरह से त्यागने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संयोगवश, आपराधिक वादों में गणितीय बारीकियों के साथ साक्ष्य की पुष्टि की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मामूली अलंकरण हो सकते हैं, लेकिन उनके कारण होने वाले परिवर्तन चक्षुदर्शी साक्षीगण के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बना देना चाहिए। तुच्छ विसंगतियों को अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्य को समाप्त नहीं करना चाहिए।"

40. उपरोक्त निर्णयज विधियों के आलोक में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन दर्शाता है कि चक्षुदर्शी साक्षीगण की गवाही सभी भौतिक विवरणों में सुसंगत थी, जो दोषसिद्धि के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है, चिकित्सीय साक्ष्य घायल और चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा प्रदान की गई मौखिक गवाही को मजबूत पुष्टिकरण प्रदान करते हैं। इसलिए, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बिंदु पर प्रस्तुत तर्क पोषणीय नहीं हैं।

41. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क, जिसमें उद्देश्य की कमी का सुझाव दिया गया है और खून से सने ईंट के टुकड़ों तथा टॉर्चों की बरामदगी को संदिग्ध बताते हुए उन पर प्रहार किया गया है, मौलिक रूप से गलत है। अभिलेख की सूक्ष्म जाँच, विशेष रूप से विवेचना अधिकारी की गवाही, पुष्टि करती है कि खून से सने और सादे ईंट के टुकड़ों दोनों के लिए फर्द बरामदगी विधिवत सिद्ध हुए और अपराध स्थल से स्थापित हुए। इसके अलावा, टॉर्चों की 'सुपुर्दगी' और बरामदगी की चुनौती साक्षीगण के लगातार बयानों के सामने नहीं टिकती है। उद्देश्य के प्रश्न के संबंध में, अभियोजन ने सफलतापूर्वक एक स्पष्ट आपराधिक योजना का अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदर्शन किया है: अपीलार्थीगण ने लूट करने के साझा उद्देश्य के साथ रम्पा के घर में अनाधिकार प्रवेश किया। श्रीमती बुद्धो से जबरन गहने छीनने का उनका बाद का कृत्य अवैध लाभ में निहित एक अकाट्य उद्देश्य प्रदान करता है। इस प्रकार, उद्देश्य केवल एक निष्कर्ष नहीं है बल्कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत चक्षुदर्शी और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मजबूती से स्थापित एक तथ्य है।

42. जहाँ तक सामान्य आशय का संबंध है, गुलाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2022 (12) एससीसी 677 में प्रतिवेदित निर्णयज विधि में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य वाद पांडुरंग, तुकिया और भिल्लिया बनाम हैदराबाद राज्य, 1955 एससीआर (1) 1083 का उल्लेख किया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि *"योजना का विस्तृत होना आवश्यक नहीं है, न ही लंबे समय के अंतराल की आवश्यकता है। यह अचानक उत्पन्न हो सकती है और बन सकती है, उदाहरण के लिए जब एक व्यक्ति पास खड़े लोगों से किसी दिए गए व्यक्ति को मारने में उसकी मदद करने के लिए कहता है और वे या तो अपने शब्दों या अपने कृत्यों से, उसे अपनी सहमति का संकेत देते हैं और हमले में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तब मनों का आवश्यक मिलन होता है। तब एक पूर्व-व्यवस्थित योजना होती है, चाहे वह कितनी ही जल्दबाजी में बनी हो और मोटे तौर पर सोची गई हो।"*

43. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि *"कृत्य और पूर्व-चिन्तन के बीच लंबा अंतराल होना आवश्यक नहीं है, और योजना अचानक बन सकती है। धारा 34 भा.द.सं. लागू होने के लिए, अभियोजन के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि कृत्य किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किया गया था।"*

44. वर्तमान वाद में, पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 की चक्षुदर्शी गवाही आपराधिक उद्यम का एक सजीव और सुसंगत विवरण प्रदान करती है। साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि आग्नेयास्त्रों से लैस तीनों अपराधी-अपीलार्थीगण लूट करने के एकमात्र साझा उद्देश्य के साथ रम्पा की झोपड़ी में अनाधिकार प्रवेश कर गए। पीछे हटने के दौरान साक्षीगण द्वारा पता लगाए जाने और चुनौती दिए जाने पर, घटने वाली घटनाएँ उनके आपराधिक कृत्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रदर्शित करती हैं। अभिलेख इंगित करता है कि अपीलार्थीगण रामचंद्र और सोनपाल ने सह-अभियुक्त मैकू को गोली चलाने के लिए उकसाया। इस उकसावे पर कार्य करते हुए और अपने भागने की सुविधा या विरोध को चुप कराने के लिए अपने उभरते सामान्य आशय के अग्रसरण अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में, मैकू ने हरीराम पर अपनी बंदूक चलाई। परिणामी घातक चोटें, जिनसे हरीराम की मृत्यु हो गई, इस समन्वित कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। भले ही मारने का विशिष्ट आशय पूर्व-नियोजित नहीं था, विधि स्पष्ट है कि सामान्य आशय किसी पूर्व, दीर्घकालिक योजना या साजिश के बिना मूल स्थान पर अचानक बन सकता है और व्यवहार की गरमागरम स्थिति के दौरान बन सकता है, जिससे सभी प्रतिभागी परिणामी मानव वध के लिए समान रूप से उत्तरदायी हो जाते हैं।

45. तर्कों के माध्यम से एक और बिंदु उठाया गया है कि घटना में उपयोग की गई कथित बंदूक का कोई साक्ष्य बरामद नहीं किया गया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जो अभियोजन की कहानी को नष्ट करता है। इस संबंध में प्रचुर मात्रा में निर्णयज विधियाँ हैं, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विश्वसनीय और प्रत्यक्ष साक्ष्य की उपस्थिति में, अन्य साक्ष्य की कमी अभियोजन साक्ष्य पर कोई संदेह पैदा नहीं कर सकती है। गुलाब (उपरोक्त) निर्णयज विधि में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता, जो यह प्रमाणित कर सके कि घातक चोटें एक विशेष हथियार के कारण हुई थीं, प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्षीगण के विश्वसनीय साक्ष्य को दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।**

46. इस प्रकार, अभियोजन ने सभी आवश्यक तथ्यों को उचित संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। अभियोजन द्वारा स्थापित घटना स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि तीनों अपराधी कथित अपराध करने में शामिल थे। आग्नेयास्त्र द्वारा हरीराम की मृत्यु कारित करने में अभियुक्त मैकू की सीधी भूमिका अभियोजन द्वारा स्थापित की गई है, इसलिए, वह आपराधिक मानव वध करने के लिए उत्तरदायी था, जो हत्या की कोटि में आता है और जो धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय है, जबकि, अन्य दो अपराधी-अपीलार्थीगण ने हरीराम की हत्या कारित करने में अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य किया था, इसलिए, वे भी धारा 302/34 भा.द.सं. के अंतर्गत हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध कारित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

47. संक्षेप में, अभियोजन ने प्रमाण के अपने भार का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, उचित संदेह से परे वाद के मूलभूत तथ्यों को स्थापित किया है। साक्ष्य तीनों अपराधियों को शामिल करते हुए एक समन्वित आपराधिक कृत्य को रेखांकित करते हैं। यह साबित करके कि अभियुक्त मैकू ने हरीराम पर घातक आग्नेयास्त्र चोट पहुँचाई थी, अभियोजन ने धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए उसका प्रत्यक्ष दायित्व अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



स्थापित किया है। साथ ही, साक्ष्य पुष्टि करते हैं कि शेष दो अपीलार्थीगण ने मिलकर कार्य किया, हत्या की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सामान्य आशय साझा किया। परिणामस्वरूप, उन्हें **भा.द.सं. की धारा 302 और 34** के परस्पर प्रभाव के तहत प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि उनकी सामूहिक कार्रवाइयां इस गंभीर अपराध के कारित करने में सहायक थीं।

48. पूर्ववर्ती चर्चाओं के आधार पर, यह अकाट्य है कि अभियोजन ने तीनों अपराधी-अपीलार्थीगण के दोष को सिद्ध किया है। साक्ष्य निर्णायक रूप से यह स्थापित करते हैं कि अपीलार्थीगण ने रम्पा के घर में अनाधिकार प्रवेश करके और बुद्धो से उसकी हंसली तथा बालियां जबरन छीनकर लूट करने के लिए मिलकर कार्य किया। चूंकि इस लूट को कारित, बल के प्रयोग या चोट पहुँचाने के साथ किया गया था, इसलिए अपीलार्थीगण का आचरण **धारा 394 भा.द.सं.** के दायरे में आता है, जिससे वे उसमें निर्धारित बड़े हुए दंड के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं।

49. आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक **25.01.1984** की सूक्ष्म जाँच से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष रखे गए बहुआयामी साक्ष्यों की जाँच करने में उचित तत्परता बरती। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने नैदानिक न्यायशास्त्र को चक्षुदर्शी साक्षीगण की गवाही और पुलिस के विवेचनात्मक निष्कर्षों के साथ कुशलतापूर्वक संयोजित किया। इस कठोर साक्ष्य मूल्यांकन ने अपरिहार्य और विधिक रूप से सुदृढ़ निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थीगण आरोपित अपराध के दोषी हैं। विशेष रूप से, न्यायालय ने **धारा 394 भा.द.सं. के अंतर्गत लूट** के लिए तीनों अपीलार्थियों को सही ढंग से उत्तरदायी पाया, जबकि हत्या में उनकी समन्वित भूमिका के लिए रामचंद्र और सोनपाल को जवाबदेह ठहराने के लिए **धारा 302 सपठित धारा 34 भा.द.सं.** का सही आह्वान किया। इसके अलावा, **धारा 302 भा.द.सं.** के अंतर्गत मैकू को आरोपित प्रत्यक्ष दायित्व अभिलेख में मजबूती से निहित है।

50. विचारण न्यायालय के निष्कर्ष न केवल विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित हैं, बल्कि गवाही के विधिक रूप से प्रशंसनीय दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अपीलार्थीगण किसी भी ऐसी विकृति या प्रत्यक्ष त्रुटि को प्रदर्शित करने के भार का निर्वहन करने में विफल रहे हैं जो अपीलीय हस्तक्षेप की मांग करती हो। अपराधों की गंभीरता और साक्ष्य की शक्ति को देखते हुए, अधिरोपित दण्डादेश तर्कसंगत और आनुपातिक बने हुए हैं। चूंकि तथ्यों का एक तर्कसंगत निर्णायक आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि अभियोजन ने उचित संदेह से परे अपना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वाद सिद्ध कर दिया है, इसलिए हम इस अपील में गुण-दोष का अभाव पाते हैं, परिणामस्वरूप, अपील **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

13 जनवरी, 2026

करण

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।